न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:— श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:—36/2020 (RCMS No. 2020/0036) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. केदार सिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत, उम्र 62 साल पेशा काश्त निवासी ग्राम चितारा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

..........अपीलान्ट

वनाम

1. चेयरमैन अलोटमेंट कमेटी उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर
2. भँवर बाई पत्नि दशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चितारा तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी ढींगला रोड, सवाई माधोपुर

.........रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर दिनांक 31.10.2018 प्रार्थना पत्र 14(4) उनवान केदार सिंह वनाम सरकार व अन्य।

उपस्थिति:—

1. मुकेश बंसल, वकील अपीलान्ट
2. श्रीदास सिंह वकील रेस्पोडेन्ट
3. राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक :—07.02.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 31.10.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्टस ने एक अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की। आराजी खसरा नम्बर 157 बांके ग्राम चितारा तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित 5 बीघा भूमि रेस्पोटडैन्ट संख्या 2 को भूमिहीन कृषक मानते हुये उपखण्ड अधिकारी ने आवंटित कर दी एवं हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

कलक्टर, सवाई माधोपुर में प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद कार्यवाही माना कि आलोच्य आवंटन आदेश दिनांक 06.01.2002 रेस्पोडेन्टस संख्या 2 के पक्ष में आवंटन हुआ। जिसे लगभग 16 वर्ष का अरसा हो गया है तथा उक्त आवंटन आदेश में आवंटन सलाहकार समिति कोरम में उपस्थित सरपंच, विकास अधिकारी, तहसीलदार की सिफारिश है तथा पटवारी कब्जा रिपोर्ट के अनुसार आवंटन के पश्चात दो साक्षी के समक्ष कब्जा भी संभलवाया गया है। इस प्रकार आवंटन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि व अनियमितता नहीं मानते हुये अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टस व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। आवंटन के लिए जो प्रार्थना पत्र था वह रेस्पोडैन्ट संख्या 2 द्वारा पूर्ण रूप से नहीं भरा गया एवं आवेदन पत्र में राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत परिभाषित भूमिहीन कृषक हूँ एवं मेरे नाम से हमारे संयुक्त परिवार में किसी सदस्य के नाम से कृषि प्रयोजनार्थ कोई भूमि नहीं है कालम नहीं भरे गये हैं। फार्म अधुरा अपूर्ण भरा हुआ है। इस अपूर्ण फार्म पर अप्रार्थी संख्या 2 को भूमि अलॉट कर दी जबकि अपूर्ण फार्म पर कोई किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता जिसपर अधीनस्थ न्यायालय ने बिल्कुल भी गौर नहीं किया। अपूर्ण फार्म पर अलाटमेंट आदेश पारित कर दिया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत जिन काश्तकारों के पास भूमि नहीं है उन्हें ही जमीन अलोट की जाती है, जबकि रेस्पोडैन्ट संख्या 2 के पास खसरा नम्बर 387 रकवा 2.02 हैक्टेयर भूमि थी, जो उसके पुत्र नन्दसिंह, जोधराज सिंह, राजेन्द्र सिंह व पुत्री सुमन कंवर व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 भॅवर बाई के नाम थी। इसके अलावा उसके पुत्र राजेन्द्र सिंह के पास खाता संख्या 385/638 ख.नं. 389/639 कुल खसरा 2 रकवा 1.2600 है. ग्राम बांके चितारा स्थित है। 10 बीघा जमीन सिवायचक जोत रखी है। इस प्रकार रेस्पोडैन्ट संख्या 2 व उसके परिवार के पास 15 बीघा से अधिक जमीन है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

जिसकी कोई जॉच रेस्पोडैन्ट संख्या 1 द्वारा नहीं की गई है। आराजी खसरा नम्बर 157 रकवा 5 बीघा वांके ग्राम चितारा में जो जमीन रेस्पोडैन्ट संख्या 2 को अलोट करना बता रहे हैं उस पर उसका कभी कब्जा नहीं रहा एवं उक्त भूमि में से 2 बीघा से अधिक जमीन पर अपीलान्ट का कब्जा है। जिसे वर्तमान में अपीलान्ट उससे पूर्व उसके पिता उम्मेदसिंह 50–60 वर्षों से काश्त करते चले आ रहे हैं। हल्का पटवारी द्वारा कमरे में बैठकर ही रिपोर्ट तैयार कर ली। मौके पर कब्जा नहीं होते हुये भी कब्जा दिखा दिया। फर्द मौका रिपोर्ट, कब्जा रिपोर्ट अपूर्ण भरी हुई है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि का मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया एवं 10–15 गवाहों के शपथ पत्र पेश किये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किए बिना कोई मौका रिपोर्ट मंगाये उसको सही मानकर खारिज कर दिया। उक्त भूमि सिंचित है एवं अपीलान्ट द्वारा डेढ दो बीघा भूमि पर कब्जा है जिसकी हर साल पिलाई अपीलान्ट द्वारा नियमित जमा कराई जा रही है। पटवारी हल्का द्वारा तथ्य छिपाते हुये गलत रिपोर्ट दी है कि जमीन किसी कमांड एरिया में नहीं है। डेढ दो बीघा भूमि जो अपीलान्ट के कब्जे में है उसके अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। जिसका दावा अपीलान्ट ने अपने नाम कराने के लिए पृथक से कर रखा है जो वर्तमान में रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निष्पक्ष फैसला नहीं देकर मात्र कागजों में जो कब्जा दिखाया गया है को आधार मानकर अपीलान्ट की अपील खारिज की है।

4. वकील रेस्पोडैन्ट का दौराने बहस कथन किया कि आवंटन सलाहकार कमेटी द्वारा तीन सदस्यों विकास अधिकारी खण्डार, सरंपच ग्राम पंचायत चितारा व तहसीलदार सवाई माधोपुर की अनुशंषा पर आवंटन किया गया है तथा पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार ने उक्त आवंटन की अभिशंषा की है। आवंटन के पश्चात पटवारी द्वारा मौके पर दो साक्षी के समक्ष कब्जा संभलवाया है। वकील अपीलान्ट का यह कथन बिल्कुल गलत है कि आवंटी आवंटन के समय भूमिहीन नहीं था। उसके पास 2.2 हैक्टेयर भूमि थी। उक्त भूमि आवंटी व उसके तीन पुत्र तथा एक पुत्री के नाम है। इस प्रकार आवंटी भूमिहीन की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील खारिज की जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

5. पैरोकार सरकार द्वारा अपने कथन में कहा कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन सही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तवेजों का ध्यानपूर्वपक अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा मुख्य कथन इस आशय का किया कि रेस्पोडैन्ट संख्या 2 द्वारा अधूरा आवेदन पत्र आवंटन हेतु प्रस्तुत किया जिसपर बिना जॉच किये उसके पक्ष में विवादित आराजी का आवंटन किया। जबकि उक्त आराजी पर अपीलान्ट विगत 50–60 वर्षों से काबिज चला आ रहा है। हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट को सही मानकर अप्रार्थी संख्या 2 को भूमिहीन कृषक के रूप में जमीन अलॉट की जबकि रेस्पोडैन्ट संख्या 2 व उसके परिवार के पास लगभग 15 बीघा से ज्यादा जमीन थी। पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडैन्ट संख्या 2 के द्वारा प्रार्थना पत्र में उसके पास 2 बीघा भूमि होने का उल्लेख किया है जिसका सत्यापन पटवारी रिपोर्ट में भी पैतृक भूमि में काल्पनिक हिस्सा 2 बीघा बताते हुये किया है। उक्त आवंटन हल्का पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर आवंटन समिति द्वारा किया गया है। आवंटन के लगभग 16 वर्ष पश्चात् उक्त आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आवंटन सलाहकार समिति सरपंच, विकास अधिकारी, तहसीलदार की स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर आवंटन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध कब्जा रिपोर्ट में भी स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर मौजूद है जिनकी उपस्थिति में उक्त आराजी का कब्जा रेस्पोडैन्ट संख्या 2 को दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि जॉच उपरान्त आवंटन किया गया एवं आवंटन पश्चात पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कानूनन कब्जा रेस्पोडैन्ट संख्या 2 को संभलवाया गया।

7. अपीलान्ट का यह कथन की आराजी पर 50–60 वर्षों से कब्जा है। इस बावत् अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई वैध साक्ष्य पेश किये जिससे उसके कब्जे की पुष्टि हो सके। अपने अपील में कहीं कहीं अपीलान्ट ने 2 बीघा से अधिक और कहीं कहीं डेढ–दो बीघा पर कब्जा बताया। जिसकी हासिल पिलाई नियमित जमा कराने का उल्लेख किया किन्तु उसकी कोई

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

रसीद अपीलान्ट ने न तो इस न्यायालय को और न ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है।

8. अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमों में कथन किया कि उक्त भूमि पर खातेदारी से संबंधित एक दावा पेश कर रखा है, जो वर्तमान में माननीय रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में लम्बित है। किन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसे किसी दावे से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। जिससे उसके कथन की पुष्टि हो सके।

9. उक्त समस्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 31.10.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07-02-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अति. संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर